



उत्तर प्रदेश शासन  
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2  
संख्या- 1155/2026/499/22-02-2026-17(218)/2026  
लखनऊ: दिनांक: 01 सितम्बर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार हरदोई में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी गयाप्रसाद (बन्दी सं0-206/2025) पुत्र श्री हिम्मा रैदास, कस्बा व थाना-बेहटागोकुल जनपद-हरदोई का निवासी है, जिसे एस0टी0नं0-324/2015 में धारा-302/34, 323/34 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01, हरदोई के दण्डादेश दिनांक 03.09.2025 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.10.2025 तक अपरिहार 09 वर्ष, 02 माह, 08 दिन तथा 09 वर्ष, 02 माह, 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट हरदोई के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार  
उप सचिव।

संख्या-1155/2026/499(1)/22-2-2026 एवं तददिनांक ।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
  - 2- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
  - 3- पुलिस अधीक्षक, हरदोई।
  - 4- अधीक्षक, जिला कारागार हरदोई।
  - 5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
  - 6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
  - 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
अभय कुमार त्रिपाठी  
अनु सचिव।